Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटडी

लाड पत्नि सुरेश जाट दगै0

बनाम

उदा पिता नाथु जाट दगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 मुकदमा नंबर 52/2019

तारिख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.19	प्रार्थना पत्र बात जांच सीगे से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय अंतरिम बहस सुनी गई। दौरानी बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भूमि पुश्तैनी जायदाद होने से प्रार्थीया का हक-अधिकार निहित है। अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में अंकित जायदाद का मौके पर विवाद है एवं विपक्षी द्वारा प्रार्थीया को परेशान कर धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी में किसी व्यक्ति को विक्रय या हस्तांतरण कर देंगे या किसी का कब्जा करा लेंगे। पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेज और जमाबंदी का अध्ययन किया गया और एक पक्षीय बहस सुनी गई। बात अवलोकन यह पाया गया कि विवादित आराजियात ग्राम ढेलाणा पटवार हल्का सवाईपुर तहसील कोटडी की आराजी संख्या 290/135 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, आराजी सं0 135/1 रकबा 1 बीघा, आराजी सं0 135/3 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, आराजी सं0 192 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा है। उपरोक्त भूमि उक्त वाद में वादग्रस्त आराजियात है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियत का बिकाव या राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। अतः न्यायहित में यह उचित है कि प्रार्थना पत्र में लिखी वादग्रस्त आराजियात जो कि ग्राम ढेलाणा पटवार हल्का सवाईपुर तहसील कोटडी में स्थित है वादग्रस्त आराजियात की के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को अंतरिम रूप से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी हेतु दिनांक 20/08/2019 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटडी	U.T. (illegible)
20/8/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री बालू लाल जोशी ने V.T. ली। विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का पेश	लाड

Scanned by CamScanner

किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी राज कार्य हेतु अन्यत्र पधारे। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु दि. 23/8/19 को पेश हो।

3/9/19

3/9/19 पत्रावली पेश हुई। विपक्षी सं. 1 की ओर से श्री बल्लूलाल जोशी उपस्थित हुए एवं प्रार्थी-वकील उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत CPC O1 R10 आमिन दाखिल किया गया था जिसे बाद बहस, स्वीकार किया गया। संशोधित टाइटल पेश हो। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय दि. 18/9/19 को पेश हो।

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

गाडू जाट बनाम डूंगा जाट

केस मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. नं. 52 सन् 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई आदेशानुसार, प्रार्थी [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] अत: पत्रावली दि 23/7/19 को पेश हो [illegible] नायब उपखण्ड अधिकारी–कोटड़ी	
	पत्रावली पेश हुई आदेशानुसार, प्रार्थी [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] अत: पत्रावली दि 27/7/19 को पेश हो [illegible] नायब उपखण्ड अधिकारी–कोटड़ी	
27/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी उपस्थित। दिनांक 3/7/19 जारी स्थगन में आराजी नं. 230/135 पर स्थगन जारी किया गया था। प्रतिवादी प्रताप सिंह ने उनके द्वारा खरीद कि गई आराजी नं. 230/135 में से 1 बिघा जमीन खरीद की गई। इस कारण आराजी नं. 230/135 मौजा पर जारी स्थगन आदेश को हटाया जाने का निवेदन किया। जिस पर वादी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। इस कारण ~~[illegible]~~ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।	[signature] पी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा बनाम किस्म मुकदमा नं.............................सन्...................... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम ... हुक्म की तामील में जारी हुआ
	अतः यह आदेश किया जाता है कि स्थगन आदेश दि 3/7/19 से आराजी नं. 290/135 को स्थगन मुक्त किया जाता है। शेष आराजी पर स्थगन जारी रहेगा। पत्रावली दि 10/10/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)	
10/10/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। दोनों पक्षों को 3(तीन) बार आवाजें लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली में कोई उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली कोई इसी स्तर पर अदमहाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाडा)	

Scanned by CamScanner